दिनांक 06.11.2007 को कैम्प कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना की बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक 06.11.2007 को सायं 7.30 बजे से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे :–

1– पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
2– मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सुलतानपुर।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
5– अधि0अभि0 विद्युत, सुलतानपुर।
6– अधि0अभि0 जलनिगम, सुलतानपुर।
7– अधि0अभि0 सिंचाई, सुलतानपुर।
8– अधि0अभि0 स0क0नि0 निगम, सुलतानपुर।
9– जिला विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
10– परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 सुलतानपुर।
11–जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुलतानपुर।
12–जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर।
13–जिला पूर्ति अधिकारी, सुलतानपुर।
14–जिला सेवायोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
15–डी0आई0ओ0,-एन0आई0सी0 सुलतानपुर।
16–वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर।
17–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।
18–जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर।
19–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सुलतानपुर।
20–सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, सुलतानपुर।
21–जिला पंचायत राज अधिकारी, सुलतानपुर।
22–महा प्रबन्धक दूर संचार सुलतानपुर।

बैठक में सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुलतानपुर द्वारा सुलतानपुर वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को आन लाइन देखने हेतु सर्व साधारण के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 के निर्देशन में जारी करने की अपेक्षा की गयी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत आगणन जो परियोजना की स्थापना हेतु चयनित कक्ष में सिविल/विद्युत व अन्य कार्य से सम्बन्धित है, का अवलोकन किया गया और यह निर्देशित किया गया कि अपने मुख्यालय से अनुरोध कर 12.5 प्रतिशत टैक्स मुक्त करायें और साउण्ड प्रूफ दीवाल की आवश्यकता पर चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ कि चयनित कक्ष स्वतः में साउंड प्रूफ है। अलग से किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। इसे स्टीमेट से बाहर रखा जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारीगण से यह अपेक्षा की गयी कि चयनित सेवाओं में उनके सरलीकरण/परिवर्तन के सुझाव मांगे गये। चयनित सेवावार निम्न बिन्दु प्रकाश में आये :–

प्रमाण पत्र सेवा में आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाये जाने की अपेक्षा की गयी कि ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों की जनता को उक्त प्रमाण पत्रों की उपलब्धता कम समय में उन्हें उनके नजदीकी सी0एस0सी0 पर ही मिल जाय और उन्हें अनावश्यक रूप से तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस पर सर्व सहमति से यह सहमति बनी की यदि इन प्रमाण पत्रों में प्रयुक्त होने वाले आवेदन प्रारूपों को आन लाइन कर दिया जाय, तो ग्रामीण जनता उसी प्रारूप पर आवेदन सी0एस0सी0

पर देगी और उसकी जांच के पश्चात उसे प्रमाण पत्र उसी सी0एस0सी0 से ही प्राप्त हो जाय। इस हेतु प्रेसक्राइब्ड अथार्टी के हस्ताक्षर पासवर्ड प्रोटेक्ट व्यवस्था में कम्प्यूटर पर ही उपलब्ध रहे ताकि जांच आख्या के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हो जाय। इस हेतु अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ही प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय में आम जनता को उनके नजदीकी सी0एस0सी0 से प्राप्त हो जायेगा। जन्म–मृत्यु एवं परिवार रजिस्टर के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि अभी तक की व्यवस्था में यह रहा है कि जन्म एवं मृत्यु के सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा 21 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जो सम्बन्धित पंजिका में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त अंकित किया जाता है एवं 21 दिन के उपरान्त एक माह तक 2/– विलम्बता शुल्क के साथ दर्ज करने की व्यवस्था है और उसमें अधिक अवधि के पश्चात एक वर्ष तक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 5/– के विलम्बता शुल्क के साथ दर्ज कराया जा सकता है और उसके पश्चात उपजिलाधिकारी /प्रेसक्राइब्ड अथार्टी के यहां अपील प्रस्तुत कर अंकन की कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में नियमों में संशोघन किये जाने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों को आसानी से प्रमाण पत्र मिल सके।

इस व्यवस्था में आने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि सर्वप्रथम अभियान चलाकर परिवार रजिस्टर को अद्यावधिक कर लिया जाय और उसका डाटा डिजिटाइजेशन कम्प्यूटर पर कर दिया जाय तथा उसके आगे अब शासन द्वारा निर्धारित समयबद्धता को समाप्त करने, उसे ग्राम पंचायत राज अधिकारी को या तो प्रार्थना पत्र के माध्यम अथवा स्वसंज्ञान व विवेक से उक्त पंजिका को अद्यावधिक करने हेतु उत्तरदायी बनाया जाना उचित होगा। इस पर सभी उपस्थित अधिकारीगण द्वारा सहमति भी व्यक्त की गयी।

लोकवाणी केन्द्रो के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन केन्द्रो को पंजीकृत किया गया है वे संचालित है अथवा नहीं। तद्नुसार जो केन्द्र स्वीकृति के एक माह के अन्दर संचालित नहीं हुए है उनका पंजीयन निरस्त कर प्रयास यह किया जाय कि सभी तहसील एवं ब्लाक केन्द्रों पर लोकवाणी केन्द्र की स्थापना हो जाय। इस हेतु पृथक से विज्ञापन भी समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाय।

कम्प्यूटराइज्ड राजस्व अभिलेख खतौनी की प्रतिलिपियों के सम्बन्ध में विचार के समय यह सहमति बनी की इस व्यवस्था में भी प्रयास यह किया जाय कि नकल खतौनी सम्बन्धित आवेदक को सुगमता से सी0एस0सी0 के माध्यम से ही प्राप्त हो जाय और इस हेतु आवेदन के प्रारूप को भी आन लाइन कर दिया जाय, ताकि आवेदन सी0एस0सी0 केन्द्र पर भर कर कार्यवाही हेतु प्राप्त हो जाय। इस हेतु राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क सी0एस0सी0 पर जमा हो सकता है, जिसके लिए शासनादेशों एवं नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस हेतु ग्रामीणों को अनावश्यक भाग–दौड़ नहीं करनी होगी।

इसी प्रकार निर्वाचन सेवा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह कहा गया कि मतदाता सूचियों के निर्माण व अद्यतीकरण एवं फोटोग्राफी के सम्बन्ध में यद्यपि समयशीलता एवं कार्यक्रम सम्बन्धित मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा तय होते है, परन्तु आम जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रारूप–6 परिवर्धन, प्रारूप–7 संशोधन एवं प्रारूप–8 विलोपन को आन लाइन करने से यह सुविधा होगी कि मतदाता अपना नाम आन लाइन सूची से देखेगा एवं अपने सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन सी0एस0सी0 पर भर देगा और कार्यवाही के उपरान्त वह अपनी मतदाता सूची में अपेक्षित अनुपालन देख सकेगा तथा मतदाता सूची को आनलाइन कर दिया जाय, जिससे मतदाता उससे परिचित हो सके।

राजस्व न्यायालयों में चल रहे वादों के कार्यवाहियों की स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि विगत 6 माह के अन्दर के सभी वादों को राजस्व वाद अवलोकन साफ्ट में जो पहले से ही एन0आई0सी0 में है और पूर्व में उस पर 2005 तक के वादों की डेटा इण्ट्री हो चुकी है, पर किया जाय। प्रथम चरण में यह कार्य सभी अपर जिलाधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों के न्यायालय में कार्यवाही की जाय। इसी के साथ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु इन न्यायालयों के अहलमद एवं पेशकार को प्रशिक्षण दिया जाय तथा एक माह में

कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता न ला पाने वाले पेशकार/अहलमद को उस पटल से हटाकर अन्य कार्मिक लगाये जाय तथा उन्हें कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान कराया जाय।

चर्चा की गयी। अन्त में स्वर्ण जयन्ती, एस0जी0एस0वाई0, पी0एम0आर0वाई0, के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में जी0एम0–डी0आई0सी0 को अवश्य बुलाया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद सहित यह बैठक शन्तिपूर्वक समाप्त की गयी।

(भोला नाथ मिश्र)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सभी सम्बन्धित अधिकारीगण को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
सुलतानपुर।